## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00022 (37/2016) 225 आरटीएक्ट

1. जोरा सिंह पुत्र सरदारा सिंह उम्र 63 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 26 डबली रांठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ।

   1/1 बचन कौर पत्नी स्व0 जोरासिह उम्र 71 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 26 डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ

   1/2 आत्मासिंह पुत्र स्व जोरासिंह उम्र 43 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 26 डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ

   1/3 जसकरणसिह पुत्र स्व0 जोरासिंह उम्र 42 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 26 डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ

   1/4 राजविन्द्र कौर पुत्री स्व0 जोरासिह पत्नी लाभसिह उम्र 41 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 8 कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

   1/5 सुखविन्द्र कौर पुत्री स्व जोरासिह पत्नी सुखपा लसिह उम्र 48 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 8 कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

   1/6 रणदीप कौर पुत्री स्व0 जोरासिह पत्नी स्व0 सुरजीतसिंह उम्र 40 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 13 अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

   1/7 सर्वजीत कौर पुत्री स्व0 जोरासिह पत्नी गुरमीतसिह उम्र. 27 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 5 झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

2. श्रीमति जसवीर कौर पत्नी श्री ठाकरसिंह
3. जगमोहन सिंह उम्र 44 वर्ष पुत्र ठाकरसिह
4. सतपालसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र ठाकरसिंह

} अकवाम रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं. 25 डबलीराठान बास मौलवी

5. श्रीमति लखविन्द्र कौर पुत्री श्री ठाकरसिंह पत्नी श्री हाकमसिंह उम्र 42 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी केवलसिह वाली ढाणी (गोलूवाला) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. श्रीमती बलजीतकौर पुत्री श्री ठाकरसिंह पत्नी श्री ठाकरसिंह पत्नी श्री गुरबचनसिह उम्र 41 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—अपीलाण्ट

बनाम

1. भगवान कौर पत्नी सरदारा सिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं. 24 डबली राठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ।

   1/1 रसीब कौर

   1/2 हरबन्स कौर

2. सुखमन्द्रसिंह } पुत्रगण सरदारसिंह जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नं0
3. मलसिंह } 24 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, जिला हनुमानगढ।
5. जगतारसिह पुत्र कृपालसिह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं. 24 डबली राठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. श्रीमति परमजीत कौर पुत्री श्री कृपालसिंह पत्नी श्री मानसिह उम्र 45 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. सुखदीपकौर पुत्री कृपालसिह पत्नी श्री जसपाल सिंह उम्र 42 वर्ष जाति रामगढिया सिख निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्व निर्णय दिनांक 22.04.2016 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 16/2016 बअनवानी जोरासिंह बनाम भगवान कौर

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व 3 राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:—24.06.2019

1. अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के सम एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादी सं0 1, प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, वादी सं0 2 ता 6 का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादी सं0 7 से 9 का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा, अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन कर मुताबिक हक व हिस्सा वादी का खाता पृथक कायम कर रकम राज पृथक कायम किये जाने एवं तदनुसार दखल दिलवाये जाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी

आदेश दिये जाने एवं शाश्वत व्यादेश जारी करने का अनुतोष मांगा। वाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणा एवं खाता विभाजन का पेश हुआ था। सरदारसिंह की भूमि का विवाद जिसकी मृत्यु पर उसकी भूमि का इंतकाल जोरासिह, भगवान कौर, सुखमन्दसिह, मलसिंह ठाकुरसिह के नाम दर्ज हुआ है। भगवान कौर ने अपने नाम दर्ज भूमि जरिये हक त्याग पुत्र सुखमन्दरसिंह एवं मलसिंह के पक्ष में छोड़ दिया है। हक त्याग पत्र विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में नहीं छोड़ सकती है यदि उन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में हक त्याग कर दिया है तो वह कानूनन सभी के पक्ष में माना जावेगा। इसी अनुसार घोषणा का अनुतोष मांगते हुए खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेण्ट ने जवाब नहीं देकर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया कि हक त्याग का रजिस्टर्ड दस्तावेज से है जिसे सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में हक त्याग को चुनौती नहीं दी बल्कि अपने हकों की की घोषणा का अनुतोष चाहा है। त्यागपत्र को निरसत करने का अनुतोष नहीं था बल्कि हक त्याग को सभी के पक्ष माना जावे। वादी का अनुतोष खातेदारी घोषणा का है जो राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता हैं। वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधीवक्ता ने आरआरटी 2014 (1) पेज 509 व पेज 101, आरआरडी 14.7.2014 पेज 423, आरआरटी 2011 (1) पेज 273 आरआरडी 14.2.2012 पेज 139, आरआरडी अगस्त 2000 पेज 332, आरआरडी 14.9.2012 पेज 586 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि सरदारासिंह की मृत्ये पर उसकी वसीयत दिनांक 26.06.1989 के आधार पर इन्तकाल हुआ है। प्लीडिंग में हक त्याग को भगवान कौर को प्रभाव में लेकर करवाया जाना अंकित किया है अर्थात हकत्याग इच्छा से नहीं करवाना अंकित किया है। यह अनुतोष सिविल न्यायायल से ही मिल सकता है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुतोष दस्तावे जो सिविल न्यायालय में निरस्त करवाने पर ही मिल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीडीआर 2006 (2) पेज 1410 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रांवली का अवलोकन किया।

5. अंधीनस्थ न्यायालय में वाद अपीलाण्ट ने अधिकारों की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन का प्रस्तुत हुआ था। वाद में यह अनुतोष चाहा था कि दावा की चरण संख्या 3 में वर्णित कुल कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादी संख्या 7 से 9 का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं एवं मुताबिक उद्घोषणा खाता विभाजन कर शाश्वत व्यादेश जारी किया जावे। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर यह कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ रहती है। इस कारण असम्यक असर के अधीन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने पक्ष में दो दस्तावेज त्यागपत्र दिनांक 11.12.2015 उप पंजियक से पंजीबद्ध करवा लिये हैं। न्यायालय को इन दस्तावेजात के निष्पादित होने के संबंध में कोई निष्कर्ष देने का अधिकार नहीं है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित है जो निरस्त किया जावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय से प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की आराजी भूमि का त्यागपत्र प्रतिवादी संख्या 1 ने 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजिबद्ध करवाया होने से वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उक्त त्यागपत्र को निरस्त किये जाकर ही दिया जा सकता है। जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के आधार पर दावा खारिज किया गया है जबकि दावा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने दावा में उक्त दस्तावेज हक त्याग को निरस्त किये जाने बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा बल्कि यह कथन करके आये हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 /रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की इच्छा कभी भी अपने हिस्सा की कृषि भूमि का हकत्याग मात्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में करने की नहीं रही है ताहम भी कानून किसी हिस्सेदार द्वारा किसी विशिष्ट हिस्सेदार के पक्ष में हकत्याग नहीं किया जा सकता तथा ऐसा किया गया हकत्याग समस्त हिस्सेदारों के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया त्याग माना जावेगा। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014 पेज 509 डीबी अपीलाण्ट के कथनों के ताईद करता है। वाद में मुख्य रूप से विवादित आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जहां तक वाद पत्र में उल्लेखित हकत्याग पंजिबद्ध दस्तावेज 11.12.2015 को निरस्त किये जाने का संबंध है यह अनुतोष अपीलाण्ट द्वारा वाद पत्र में नहीं चाहा गया है बल्कि एक सह काश्तकार द्वारा किसी विशिष्ट हिस्सेदार के पक्ष में हकत्याग क़ानूनन नहीं किया जा सकता इसकारण हकत्याग समस्त हिस्सेदारों के पक्ष में माना जाने का अनुतोष चाहा गया है जो राजस्व न्यायालय राजस्व वाद में प्रश्नगत हकत्याग दस्तावेज के प्रभाव को देखते हुए प्रश्नगत वाद का निस्तारण करने हेतु सक्षम है। विचारण न्यायालय ने वाद राजस्व न्यायालय के क्षेधिकार का नहीं होने के आधार पर आवेदन पत्र प्रतिवादी आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर दावा गलत रूप से खारिज किया है जबकि रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी द्वारा अपनी समस्त आपत्तियाँ जवाब दावे में उठा सकते हैं तथा तद्नुसार तनकियात कायम होकर उनकी बाईज गुणावगुण पर निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जासकता है। उपरोक्त विवेचन एवं विलशेषणा के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 22.04.2016 निरस्त किया जाता है एवं आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रतिवादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व 3 खारिज किया जाता है। विचारण न्यायायल को निर्देश दिया जाता है कि शेष रहे प्रतिवादीगण का जवाब दावा लेकर विवादक कायम कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official